

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-196/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/384)

1. अभिषेक पुत्र धारा सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी टहला तहसील टहला जिला अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर, अलवर, राजस्थान।
2. तहसीलदार टहला जिला अलवर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थिति:-

1. श्री महेन्द्र शर्मा व महेश चन्द गौतम एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.05.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ग्राम टहला तहसील टहला जिला अलवर निवासी भूमिहीन व्यक्ति है तथा अपीलार्थी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि कार्य हेतु भू आवंटन) नियम 1970 की धारा 8 के तहत भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया जिस पर अपीलान्ट को ग्राम नेडोली तहसील टहला जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 1.19 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में से सम्पूर्ण रकबा 1.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 21/341 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में से सम्पूर्ण रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.20 हैक्टर बारानी सोयम में से सम्पूर्ण रकबा 0.20 हैक्टर सिवायचक भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा अपने आवंटन आदेश क्रमांक एल. आर./आवंटन/2021-22/2061 दिनांक 02.03.2022 को किया गया एवं आवंटित भूमि का भौतिक रूप से कब्जा अपीलान्ट को संभला दिये जाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी इत्यादि में अपीलान्ट का नाम दर्ज किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा आवंटित भूमि पर पैसे लगाकर एवं कड़ी मेहनत कर आवंटित भूमि को कृषि योग्य तैयार किया गया एवं अपीलार्थी आवंटित भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है। उन्होने आगे कथन किया है कि आवंटन के पश्चात् अपीलान्ट को कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर से एक नोटिस दिनांक 03.02.2023 को प्रेषित किया गया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) एवं प्रभारी जॉच कमेटी अलवर की जॉच रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया है कि प्रशासन गोंवों के संग अभियान 2021 के दौरान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत किये गये आवंटन को गठित जिला

P.T.O

स्तरीय जाँच दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है। जिसके अंतर्गत 10 दिवस में जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु समय निर्धारित किया गया। उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी के द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 03.02.2023 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को आवंटित खसरा नंबर की कृषि भूमि पर विधिक रूप से अपीलार्थी कब्जा काश्त है जिस पर अपीलार्थी द्वारा लगातार फसल काश्त की जा रही है। उक्त आवंटित भूमि वन विभाग, खनिज विभाग से सम्बन्धित नहीं है, भूमि की किस्म सिवायचक है तथा अपीलान्त भूमिहीन व गरीब परिवार की श्रेणी में आता है। आवंटी, आवंटन नियम की समस्त शर्तों की पालना करता रहा है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर द्वारा अपीलार्थी के जवाब को बिना कन्सीडर किये ही एवं अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होने का अधिकार नहीं देकर एवं न्यायिक प्रक्रिया व विधि के प्रावधानों की बिना पालना किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 02.03.2022 को अपारत कर दिया गया, जो आदेश विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलान्त का परिवार बहुत ही गरीब और सिर्फ खेती पर ही निर्भर है तथा अपीलार्थी द्वारा भूमि आवंटन हेतु किसी तरह का कोई छल-कपट नहीं किया गया है और अपीलार्थी द्वारा भू आवंटन नियम की किसी भी शर्त का उल्लंघन भी नहीं किया गया है तथा अपीलार्थी राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटन) 1970 की समस्त शर्तों हेतु पात्रता रखता है और इसीलिये आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं नियमों की पूर्णतय पालना करते हुये ही अपीलार्थी को भूमि आवंटन हेतु पात्र मानते हुए ही विधि सम्मत आवंटन किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक दृष्टिगण के व भू आवंटन नियम 1970 के विधिक प्रावधानों पर बिना गौर किये ही एवं वास्तविकता की बिना कोई जाँच किये ही केवल एकतरफा की गई फौरी जाँच को ही आधार बनाकर आवंटन आदेश को निरस्त किया गया है, जो निर्णय विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 को निरस्त फरमाया जावे एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 02.03.2022 को बहाल किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने कथन किया है कि प्रशासन गांव के राम अभियान 2021 के दौरान राजगढ़ उपखण्ड के तहत राजगढ़/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जाँच किये जाने हेतु जिला कलेक्टर अलवर के आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा एक जिला स्तरीय जाँच दल का गठन किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जाँच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय अलवर ने विस्तृत जाँच की जाकर जाँच


P.T.O

(4)

कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंभा भी की गई है, इत्यादि जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 पारित किया गया है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपों के प्रतिकूल एवं अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अपीलार्थी की उक्त आवंटन हेतु पात्रता सिद्ध होती हो या आवंटन नियमों हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप आवंटन हुआ हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 को यथावत रखा जाता है।


(डॉ० प्रवीण कुमार)
अति-संभागीय आयुक्त
- जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अति-संभागीय आयुक्त
- जयपुर।